



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 496 राँची, सोमवार, 30 श्रावण, 1945 (श०)
21 अगस्त, 2023 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

7 जुलाई, 2023

संख्या-16/नि०-10/2015-3065--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या-V, 1861) की धारा-46 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, पुलिस हस्तक नियम 1978 नियम 663 (अ) (अधिसूचना संख्या-3106, दिनांक-13.08.20007 यथा संशोधित द्वारा अधिसूचना संख्या-3875, दिनांक-14.07.2016 एवं अधिसूचना संख्या-5138, दिनांक-22.12.2022) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

1. इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियम 663 (अ) की उप नियम-3.2 में निम्नांकित प्रावधान है:-

"3.2 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।"

जिसे निम्नांकित प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"3.2 शैक्षणिक अर्हता- न्यूनतम मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण ।"

2. पुलिस हस्तक नियम 663 (अ) (अधिसूचना संख्या-3106, दिनांक-13.08.2007 यथा संशोधित द्वारा अधिसूचना संख्या-3875, दिनांक-14.07.2016 एवं अधिसूचना संख्या-5138, दिनांक-22.12.2022) के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।

3. विभागीय संलेख जापांक-2748, दिनांक-19.06.2023 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-26.06.2023 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-31 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

4. यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(तदाशा मिश्र),
सरकार के विशेष सचिव ।
